पर्यावरण हा चुका

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल ;म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525,2463102, 2465496
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

कमांक : 6-MPB 064/2011-BHO/ 57, दि0 - 09 - 01 - 2012,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

766

विषयः मण्डला जिले के अन्तर्गत बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाईगर रिजर्व एवं पूर्व मण्डला सामान्य वनमण्डल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 1.2875 हे0 (पूर्व अनुमोदित वनक्षेत्र 0.6210 हे0 के अतिरिक्त) आरक्षित वनभूमि आप्टिकल फाईबर केबल लाईन हेतु वोडाफोन इस्सार स्पेसीटेल लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1) वनमण्डलाधिकारी, पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला का पत्रांक मा.चि. / 502 दिनांक 16 / 02 / 2010
2) इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीबी 064 / 2011–बीएचओ / 3143 दिनांक 30 / 05 / 2011
3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक एफ–5 / 644 / 09 / 10–11 / 2596 दिनांक 25 / 8 / 11
4) Adhoc-CAMPA, MoEF, New Delhi का पत्रांक 1–20 / 2010–केम्पा दिनांक 14 / 11 / 2011

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश उक्त विषयक पत्रांक एफ–5 / 644 / 09 / 10–11 / 1263 दिनांक 4 / 5 / 2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

वनमण्डलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमण्डल, मण्डला के पत्र कमांक मा.चि. / 502 दिनांक 16 / 02 / 2010 द्वारा वनक्षेत्र 0.6210 हे0 पर राईट आफ वे के अन्तर्गत ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने की स्वीकृति उपरोक्त संदर्भित पत्र(1) द्वारा पूर्व में दी गयी है ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से मण्डला जिले के अन्तर्गत बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाईगर रिजर्व एवं पूर्व मण्डला सामान्य वनमण्डल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 1.2875 हे0 (पूर्व अनुमोदित वनक्षेत्र 0.6210 हे0 के अतिरिक्त) आरक्षित वनभूमि आप्टिकल फाईबर केबल लाईन हेतु वोडाफोन इस्सार स्पेसीटेल लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता हैः–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

.....2

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 2.575 हे0 अवक्रमित वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा ।

4. केबल लाईन भूमि सतह से 1 मीटर नीचे बिछाई जायेगी ।

5. आवेदक द्वारा बफर जोन के अन्तर्गत कोई वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय

s/d

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. वनण्डलाधिकारी, पूर्व वनमण्डल (सामान्य) मण्डला, जिला-मण्डला, मध्यप्रदेश ।
5. क्षेत्र सचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला-मण्डला, मध्यप्रदेश ।
6. मेसर्स वोडाफोन इस्सार स्पेसीटेल लिमिटेड, द्वितीय तल सेन्टर पाईन्ट, नयू मार्केट, टी0टी0नगर, भोपाल।
7. आदेश पत्रावली ।

s/d

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)